"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2017— वैशाख 1 , शक 1939

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-92/35/नियम/2005/2016. — छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 3 में, शब्द "आयोग के" के पश्चात्, शब्द "उपाध्यक्ष एवं" अन्त:स्थापित किया जाये.

2. नियम 8 में, -

    (क) शब्द एवं अंक "नियम 7 के अधीन तथ्य अभिनिश्चित करते समय" के पूर्व, चिन्ह तथा अंक "(1)" अन्त:स्थापित किया जाये; और

    (ख) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

        "(2) संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में पायी गयी किन्ही कमियों/त्रुटियों के बारे में रजिस्ट्रार द्वारा सूचित किये जाने पर, संस्था प्रमुख, ऐसी सभी कमियों/त्रुटियों का सुधार, ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर करेगा, ऐसा करने में असफल होने पर, पंजीयन आवेदन स्वमेव निरस्त हो जायेगा."

3. नियम 11 में, -

    (क) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

        "(1) स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान राशि का व्यय तब तक उपगत नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग क्रियान्वयन समिति द्वारा स्वीकृत न हो. अशासकीय सदस्यों की रिक्ति की स्थिति में, शासकीय सदस्यों द्वारा क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन कर निर्णय लिया जा सकेगा. छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग क्रियान्वयन समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे :-

(क)	अध्यक्ष	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग;
(ख)	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग;
(ग)	सदस्य	राज्य शासन द्वारा नियुक्त छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग के समस्त सदस्य;
(घ)	सदस्य	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (पशुपालन) विभाग;
(ङ)	सदस्य	संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें;
(च)	सदस्य	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड);
(छ)	सदस्य	सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य गौ–सेवा आयोग रायपुर;
(ज)	सदस्य	रजिस्ट्रार/उप संचालक, छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग।

(ख) उप–नियम (10) में,–

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द "उल्लिखित पशुओं की संख्या" के पश्चात्, शब्द "उनका स्वास्थ्य, पशुओं की संख्या पर आधारित अधोसंरचना, शेड, पेयजल की उपलब्धता, गौ–शाला में पशुओं के पोषण आहार व्यवस्था" अन्तःस्थापित किया जाये; और

(दो) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(झ) पंजीकृत संस्था, गौ–शाला के पशुओं की समुचित देखभाल करना तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का सं. 59) के प्रावधानों का उल्लंघन न होना, सुनिश्चित करेगा।

(त्र) गौशाला में रखे गये कृषिक पशुओं की अभिरक्षा, कृषकों को, पचास रुपये के नॉन–ज्यूडिसियल स्टॉम्प पेपर पर, इन पशुओं की समुचित देखभाल करने एवं इन पशुओं का विक्रय न करने के आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करने पर, दिया जा सकेगा।"

(ग) उप–नियम (11) में, खण्ड (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(पांच) अधोसंरचना निर्माण, जिसमें पशुधन आवास गृह, भण्डारण कक्ष, गौ–शाला कार्यालय, चौकीदार भवन, शेड निर्माण एवं मरम्मत कार्य सम्मिलित हैं, के लिये सब्सिडी/अनुदान रू. 5,00,000/– (रू. पांच लाख)।"

(घ) उप–नियम (13) में, खण्ड (क) में, शब्द "पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारी तथा अन्य गौ–सेवक की देयकों के भुगतान के प्रयोजन के लिए होगा." के पश्चात्, शब्द "इस राशि का उपयोग, कांजी हाऊस में रखे गये पशुओं के निकटतम गौ–शाला तक परिवहन हेतु भी किया जायेगा." अन्तःस्थापित किया जाये।

(ङ.) उप–नियम (13) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(14) गौ–शाला में रखे जाने वाले पशुओं की पहचान हेतु छत्तीसगढ़ राज्य गौ–सेवा आयोग; संयुक्त संचालक/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें को टैग उपलब्ध करायेगा। संयुक्त संचालक/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिले में संचालित गौ–शालाओं के पशुओं को टैग लगाने के पश्चात्, गौ–सेवा आयोग को सूचना देगा। गौ–शाला में टैग लगाये गये कृषिक पशुओं के लिये नियमानुसार अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) संयुक्त संचालक/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, नगरीय प्रशासन के सहयोग से, सार्वजनिक स्थलों में पाये जाने वाले घुमंतू कृषिक पशुओं के गले में रेडियम पट्टी लगाने हेतु उत्तरदायी होगा। छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग; संयुक्त संचालक/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें को रेडियम पट्टी उपलब्ध करायेगा।"

4. प्रपत्र 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"प्रपत्र – 6
(नियम 11 (11) देखिये)

(वृद्ध, अपंग, कमजोर तथा जप्त किए गए पशुओं को अनुदान हेतु प्रपत्र)
(पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ द्वारा सत्यापन किया जाये)

संस्था का नाम ....ग्राम.. विकासखंड ....
............................जिला.. वित्तीय वर्ष ....
माह ....

स. क्र.	पशु के वर्ग का नाम	गत माह के अंत में पशुओं की संख्या	माह में गौशाला को प्राप्त, जप्त पशुओं की संख्या	कृषक द्वारा दान में दी गई पशुओं की संख्या	कोर्ट के आदेश के अनुसरण द्वारा वापस किये गये पशुओं की संख्या	कृषकों की अभिरक्षा में वितरित पशुओं की संख्या	माह में		माह के अंत में कुल पशुओं की संख्या	समतुल्य इकाई	कुल वयस्क इकाई
							जन्मे वत्स	मृत पशु			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	गाय– 1. जर्सी, एच.एफ. एवं उनके क्रॉस 2. साहीवाल, गिर, सिंघी, कांक्रेज, हरियाणा, थारपारकर 3. कोशली (छ.ग.)									1.0	
2	बछड़ा/बछिया (3½ वर्ष की आयु तक)									0.7	
3	बछड़ा/बछिया (एक वर्ष की आयु तक)									0.2	
4	ब्रीडिंग सांड/बैल (ऊंचाई 5 फीट से कम न हो)									1.2	
5	भैंस/भैंसा									1.2	
6	पाड़ा/पड़िया (1–3½ वर्ष की आयु)									0.8	
7	पाड़ा/पड़िया (भैस) (एक वर्ष की आयु तक)									0.2	
	योग ईकाई									0.2	

हस्ता. एवं सील
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सालय
जिला
नाम– डॉ.
मोबाईल नं."

हस्ता. एवं सील
अध्यक्ष/सचिव
(नाम एवं मोबाईल नं. सहित)

प्रपत्र – 6

प्ररूप–ख

गौ–शाला के संबंध में सामान्य जानकारी

1. गौ–शाला में उपलब्ध शेड की संख्या – ....
2. गौ–शाला में उपलब्ध पशुधन की संख्या के आधार पर शेड पर्याप्त है या नहीं – ....
3. गौ–शाला में उपलब्ध पेयजल व्यवस्था – ....
4. गौ–शाला में उपलब्ध पशुधन की संख्या के आधार पर पेयजल व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं – ....
5. गौ–शाला में पशुओं के लिये (चारा/दाना) खाद्य व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं – ....
6. गौ–शाला में पशुओं के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी – ....
7. गौ–शाला को अनुदान देने के संबंध में पशु चिकित्सा की टीप – ....

हस्ताक्षर एवं सील

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ

जिला..

नाम– डॉ. ....

मोबाईल नं. ....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Naya Raipur, the 29th March, 2017

NOTIFICATION

No. F 8-92/35/Niyam/2005/2016.— In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 2004 (No. 23 of 2004), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Rules, 2005, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 3, after the words "travelling and daily allowances to", the words "Vice Chairman and" shall be inserted.

2. In rule 8,-

(a) before the words and figure "While ascertaining the fact under rule 7", the symbol and figure "(1)" shall be inserted; and

(b) after sub-rule (1), the following shall be inserted, namely:-

"(2) The head of the Institution, on being informed by the Registrar regarding any lacunae/mistakes found in the application submitted by the institution, shall rectify all such lacunae/mistakes within 60 days from the date of receipt of such application, failure to do so shall result in an automatic rejection of registration application."

3. In rule11,-

(a) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Expenditure of amount granted to the self governing institution shall not be incurred unless sanctioned by the Chhatisgarh Goseva Ayog Working Committee. In case of vacancy of Non-Government Member, decision may be taken by the Government member, by organizing meeting of

the working committee. The Chhattisgarh Goseva Ayog Working Committee shall consist of the following members:-

(a)	Chairperson	Chairperson, Chhattisgarh Goseva Ayog;
(b)	Vice Chairperson	Vice Chairperson, Chhattisgarh Goseva Ayog;
(c)	Member	All members of Chhattisgarh Goseva Ayog appointed by the State Government;
(d)	Member	Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Agriculture(Animal Husbandry)
(e)	Member	Director, Animal Husbandry Services;
(f)	Member	Managing Director, Chhattisgarh State Agricultural Marketing Board (Mandi Board);
(g)	Member	Secretary, Chhattisgarh State Goseva Ayog, Raipur;
(h)	Member	Registrar/Deputy Director, Chhattisgarh Goseva Ayog.

(b) In sub-rule (10),-

(i) in clause (b), after the words "shall verify number of animals", the words "their health, infrastructure based on number of animals, shed, availability of drinking water, nutrition system of animals in Goshala" shall be inserted; and

(ii) after clause (h), the following shall be inserted, namely:-

"(i) Registered Institution shall ensure to take proper care of animals in Goshala and there is no contravention of the

provisions of the Prevention of Animal Cruelty Act, 1960 (No. 59 of 1960).

(j) Custody of Agricultural cattles kept in Goshala may be given to farmers on submission of an affidavit on non judicial stamp paper of rupees fifty to the effect of taking proper care of animals and not to sale these animals."

(c) In sub-rule (11), for clause (v), the following shall be substituted, namely:-

"(v) Subsidy/grant of Rs. 5,00,000/- (Rs. Five lakh) for infrastructure construction which includes cattle house, storage room, Goshala office, residence of watchman, shed construction and repair works."

(d) In sub-rule (13), in clause (a), after the words "officers/Employees of Police Department and other go-sevak.", the words " This amount shall also be used for transportation of cattle kept in Kanji House to the nearest Goshala." shall be inserted.

(e) After sub-rule (13), the following shall be added, namely:-

"(14) Chhattisgarh State Goseva Ayog shall make tags available to the Joint Director/Deputy Director, Veterinary services for identification of cattle to be kept in Goshala. Joint Director/Deputy Director, Veterinary services shall intimate the Goseva Ayog after tagging the cattle of Goshalas operated in the district. Grants for agricultural cattle tagged in Goshala shall be provided as per rules.

(15) Joint Director/Deputy Director, Veterinary services shall be responsible for tying of radium belt in the neck of stray agricultural cattles found in public places with the assistance of Urban Administration. Radium belts shall be made available by the Chhattisgarh Goseva Ayog to the Joint Director/Deputy Director, Veterinary services."

4. For proforma 6, the following shall be substituted, namely:-

"Proforma -6
(See Rule 11 (11))

(Proforma for the subsidy to the Aged, lame, weak and seized animal)
(Verified by Veterinary Assistant Surgeon)

Name of the institution ———————————Village———————————Block——————
District.—— ——————————financial year ——————————Month———————————

S.No.	Name of animal group	No. of animal at the end of last month	No. of seized animal handed over to Goshala in the month	No. of animals donated by the farmer	No. of animals returned by persuasion of court order	No. of animals distributed to the farmer on custody	In the month		No. of total animal at the end of month	Comparative unit	Total adult unit
							calf born	animal died			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	cow- 1. Jersey, H.F. & its cross 2.Sahiwal, Gir, Singhi, Kankrej, Hariana, Tharparker 3.Koshali (C.G.)									1.0	
2	He/She Calf (Up to 3½ Year of Age)									0.7	
3	He/She Calf (Up to 1 Year of Age)									0.2	
4	Breeding Bull/ Bullock (Height not less than 5 feet)									1.2	
5	He/She Buffalo									1.2	
6	He/She Buffalo Calf (1- 3½ Year of Age)									0.8	
7	He/She Buffalo Calf (Up to 1 Year of Age)									0.2	
	Total Unit									0.2	

Sign & Seal **Sign & Seal**

Veterinary Assistant Surgeon
Veterinary Hospital
District
Name - Dr.
Mobile No."

Chairman/Secretary
(With Name & Mobile No.)

Proforma -6

Form-B

General Information regarding Goshala

1. Number of shed available in Goshala - ....
2. Whether the sheds are sufficient on the basis of Number of cattle available in Goshala or not - ....
3. Arrangement of drinking water available in Goshala - ....
4. Whether the arrangement of drinking water is sufficient on the basis of Number of cattle available in Goshala or not - ....
5. Whether the food (chara/daana) are sufficient for cattle in Goshala or not - ....
6. Information relating to health of cattle in Goshala - ....
7. Remark of Veterinary doctor in order to give grant to Goshala - ....

Signature and Seal

Veterinary Assistant Surgeon

District- ---------------------------

Name-Dr.--------------------------

Mobile No.- --------------------

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANUP KUMAR SHARIVASTAVA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.